भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:1614
उत्तर देने की तारीख: 02.03.2020

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या

† **1614. श्री नितेश गंगा देबः**
सुश्री एस. जोतिमणिः
श्री एस. सी. उदासीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन॰सी॰आर॰बी॰) के अनुसार हाल के वर्षों में देश में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰/अ॰पि॰व॰ के छात्रों सहित विद्यार्थियों की आत्महत्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के करूर जिले सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा देश में छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या के बारे में श्रेणीवार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। वर्ष 2016 से 2018 तक छात्रों द्वारा आत्महत्या करने का राज्यवार विवरण संलग्नक में है। एनसीआरबी द्वारा अलग से जिलेवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) एवं (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधान स्कूलों में सभी बच्चों के लिए सकारात्मक अधिगम परिवेश सुनिश्चित करते हैं। इस अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' को निषेध किया गया है और धारा 17 (2) के तहत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। समग्र शिक्षा में

आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सहायता की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, स्कूलों में मार्ग दर्शन और परामर्श से संबंधित अंत:क्षेपों पर राज्यों और संघ राज्यों की सहायता हतु प्रावधान है। स्कूलों में शिक्षकों को प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने छात्रों के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है:

(i) परामर्श तंत्र

(ii) कर्मचारियों की नियुक्ति

(क) भावनात्मक स्वास्थ्य

(ख) शारीरिक स्वास्थ्य और

(ग) सुरक्षा।

इसने बच्चों के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जेएनवी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त किए हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने ऐसी पाठ्यपुस्तकों को विकसित किया है जो स्कूलों में तनाव, चिंता और अन्य संबंधित समस्याओं के पहलुओं को कवर करती हैं। एनसीएफ, 2005 सभी स्कूली चरणों में छात्रों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरणों सहित प्रत्येक स्कूल चरणों में मार्गदर्शन/परामर्श का समर्थन करता है। एनसीएफ ने तनाव से संबंधित समस्याओं से निपटने और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को छात्रों के तनाव को कम करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने पर भी चिंता व्यक्त की है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक और सामाजिक दबावों को पूरा करने के लिए सहायता प्रणाली बनाने के लिए प्रशिक्षित व्यवसायिकों द्वारा मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्कूल सुरक्षा शपथ पर दिनांक 18.10.2019 के पत्र द्वारा बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार की रोकथाम पर जागरूकता और आपदा की स्थिति में निकालने की ड्रिल सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की एडवायजरी जारी की है।

*****

संलग्नक

'विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नितेश गंगा देब, सुश्री एस. जोतिमणि और श्री एस. सी. उदासी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1614 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित संलग्नक

2016-2018 के दौरान छात्रों द्वारा आत्महत्या की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की संख्या

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018
	राज्यों			
1	आंध्र प्रदेश	295	392	360
2	अरुणाचल प्रदेश	29	14	28
3	असम	353	250	229
4	बिहार	171	137	159
5	छतीसगढ	633	524	603
6	गोवा	29	23	21
7	गुजरात	556	638	570
8	हरियाणा	154	176	193
9	हिमाचल प्रदेश	54	104	115
10	जम्मू और कश्मीर	18	38	70
1 1	झारखंड	233	299	360
12	कर्नाटक	540	702	755
13	केरल	340	410	375
14	मध्य प्रदेश	843	953	862
15	महाराष्ट्र	1350	1437	1448
16	मणिपुर	6	9	14
17	मेघालय	28	35	43
18	मिजोरम	7	7	6
19	नागालैंड	8	5	4
20	ओडिशा	390	361	501
21	पंजाब	81	102	115
22	राजस्थान	221	333	358
23	सिक्किम	37	37	26
24	तमिलनाडु	981	810	953
25	तेलंगाना #	349	504	428
26	त्रिपुरा	68	77	71
27	उत्तर प्रदेश	263	436	513
28	उत्तराखंड	20	24	32
29	पश्चिम बंगाल	1147	779	609
	कुल (राज्य)	**9204**	**9616**	**9821**
	केंद्र शासित प्रदेश			
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	13	14
31	चंडीगढ़	15	34	23
32	दादरा और नगर हवेली	4	12	15
33	दमण और दीव	1 1	3	7
34	दिल्ली	211	212	203
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	24	15	76

	कुल (संघ शासित राज्य)	**274**	**289**	**338**
	कुल (सभी भारत)	**9478**	**9905**	**10159**

स्रोत: राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं'

*****